एक मज़दूर पर हमला, सभी मज़दूरों पर हमला है
मज़दूरों का अखिल भारतीय सम्मलेन

सत्यवीर सिंह

मोदी सरकार की मज़दूर-विरोधी, जन-विरोधी एवं राष्ट्र-विरोधी नीतियों के विरुद्ध, मज़दूरों का एक दिवसीय, अखिल भारतीय सम्मलेन, 30 जनवरी को नई दिल्ली के कांस्टीटयूसन क्लब में संपन्न हुआ. 10 केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों, INTUC, AITUC, HMS, CITU, AIUTUC, TUCC, SEWA, AICCTU, LPF, UTUC तथा देश भर में स्वतन्त्र रूप से काम कर रहे, अनेकों मज़दूर संगठनों, मोर्चों ने इसमें शिरक़त की. ये जानते हुए, कि मोदी सरकार, देश की सारी सम्पदा को चुनिन्दा कॉर्पोरेट को अर्पित करने के अपने एजेंडे से अब पीछे नहीं हटने वाली, इन मानवद्रोही नीतियों का पूरी ताक़त से विरोध करते हुए, देशभर में आक्रोशपूर्ण जन-आंदोलनों की लहर खड़ी करने का, ब्लू प्रिंट तैयार किया गया.

सम्मलेन को, अशोक कुमार सिंह (INTUC), अमरजीत कौर (AITUC), हरभजन सिंह (HMS), तपन सेन (CITU), राजिंदर सिंह (AIUTUC), के इन्दू प्रकाश मेनन (TUCC), सोनिया जॉर्ज (SEWA), राजीव डिमरी (AICCTU), षणमुगम (LPF) तथा अशोक घोष (ञ्ज्ष्ट) ने संबोधित किया.

1991 से पूंजी को खुलकर खेलने की छूट देने का, ये ही अंजाम होना था. एक सिरे पर, पूंजी के चंद हाथों में इकठ्ठा होते जाने, पूंजी के पहाड़ खड़े होने और दूसरे छोर पर, अधिकाधिक, के व्यापक कंगालीकरण, दरिद्रता और भुखमरी के महासागर में डूबते जाने की प्रक्रिया, अपने चरम पर पहुँच चुकी है. पूंजी की इस विनाश लीला को, अब पीछे धकेलना तो छोड़ दीजिए, इसी जगह रोककर रखना भी मुमकिन नहीं. ये बात सुकून देने वाली है कि मज़दूर नेता, इस हक़ीक़त से बे-ख़बर नहीं हैं. इसीलिए विरोध आंदोलनों को, फैक्ट्री स्तर से शुरू कर, शहर, ज़िला, राज्य और फिर, 9 अगस्त को 'भारत छोडो आन्दोलन' के दिन, देश स्तर पर राष्ट्र-व्यापी हड़ताल आयोजित करने की उल्लेखनीय योजना बनी. "लेबर कोड्स, निजीकरण, देश के सारे संसाधन, सार्वजनिक क्षेत्र निकायों को कॉर्पोरेट के हवाले करने, देश की संप्रभुता, आत्मनिर्भरता को ही अंतर्राष्ट्रीय पूंजी (साम्राज्यवादी पूंजी) के सामने गिरवीं रख देने वाली नीतियों को, बिलकुल बरदाश्त नहीं किया जाएगा", इस संकल्प के साथ सम्मलेन संपन्न हुआ.

"हर मोर्चे पर नाकाम रहने वाली, ये सरकार, मज़दूरों-किसानों के आक्रोशपूर्ण आन्दोलनों से अपनी जान बचाने के लिए, मज़हबी नफ़रत फैलाकर सामाजिक ध्रुवीकरण के ख़तरनाक अजेंडे पर तेज़ी से आगे बढ़ रही है और जीवन-मरण के मुद्दों से ध्यान भटका रही है. हर रोज़ जनवादी अधिकारों पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है. सरकार के इस विध्वंशक अजेंडे को नाकाम करना है", सम्मलेन में ये प्रस्ताव भी पारित हुआ.

एक और अहम प्रस्ताव पारित हुआ, "जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, और 2014 से अब तक, भाजपा के साढे 8 सालों के शासन पर गौर करते हैं, तो समाज के अधिकांश भाग के बे-इन्तेहा तक़लीफ़ों, कंगाली और दमन में पिसने, उनकी रोज़ी-रोटी पर, बर्बर सरकारी हमले की वीभत्स तस्वीर नज़र पड़ती है. भयानक बेरोज़गारी और लोगों के रोज़गार छिनने की परिस्थितियां तेज़ी से बढ़ रही हैं." इसके साथ ही, सम्मलेन ने मांग की कि अर्थव्यवस्था की दयनीयता की असली स्थिति देश के सामने लाने के लिए, सरकार तुरंत एक 'श्वेत पत्र' ज़ारी करे.

मनरेगा योजना का न सिर्फ़ बजट कम होता जा रहा है, बल्कि वह भी खर्च नहीं किया जा रहा. असलियत ये है कि ज़रुरतमंदों को, साल में, मात्र 50 दिन का ही रोज़गार बमुश्किल मिल पा रहा है. ग्रामीण भाग में भुखमरी रोकने वाली इस योजना का बजट बढाया जाए, हर साल 200 दिन का रोज़गार सुनिश्चित किया जाए, दिहाड़ी बढाई जाए. इसी तरह की योजना शहरी बेरोज़गारों के लिए भी तत्काल शुरू की जाए. 'बाज़ार-निर्धारित और निकृष्ट नई पेंशन योजना' को पूरे देश से पूरी तरह समाप्त कर, पुरानी पेंसन योजना को, हर विभाग में लागू किया जाए. जिन लोगों को नई पेंसन मिल रही है उन्हें कम से कम 8,000/ रु महीना ज़रूर मिले, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है. सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लागू कराने के लिए भी आन्दोलन करने पड़ेंगे, मोदी सरकार का आज, ये चरित्र हो गया है. मतलब, सम्मलेन ज़मीनी हक़ीक़त से बेख़बर नहीं था.

इससे पहले 22 जनवरी को, 'सेना, बिजली और रेलवे विभाग के निगमीकरण (corporatization) के परिणाम और सबक़' विषय पर, 'निजीकरण के विरुद्ध अखिल भारतीय मंच' (All India Forum Against Privatization, AIFAP) द्वारा आयोजित वेबिनार, बहुत सुंदर नारे के साथ शुरू हुई—Attack on one is, attack on all', 'एक पर हमला, सभी पर हमला है'. इस वेबिनार का विषय था, 'सरकार की मज़दूर-विरोधी, जन-विरोधी नीतियों के विरोध में 23 एवं 24 फ़रवरी को देश-व्यापी हड़ताल और आगे का रास्ता'. इस वेबिनार में रेलवे, आर्डिनेंस, बिजली विभाग तथा बैंकिंग क्षेत्र में काम कर रहीं अनेकों यूनियनों ने भाग लिया. प्रमुख भाषण AITUC की नेता अमरजीत कौर ने दिया. उन्होंने बताया कि सभी मज़दूर यूनियनों ने 'संयुक्त किसान मोर्चे' के ऐतिहासिक आन्दोलन का ना सिर्फ़ समर्थन किया था, बल्कि उसमें शिरक़त भी की. आगे के आन्दोलन में, और भी सशक्त रूप से शिरक़त करेंगे. उन्होंने ख़ुशी ज़ाहिर की कि संयुक्त किसान मोर्चे ने 23 व 24 फरवरी की हड़ताल में शामिल होने का फैसला किया है. एसकेएम ने बिजली क़ानून को वापस करने की मांग को अपनी प्रमुख मांगों में शामिल भी कर लिया है.

दमन होगा, तो लाज़िम है प्रतिकार भी होगा

दमन और प्रतिकार में भी द्वंद्वात्मक सम्बन्ध है. आज मज़दूरों का शोषण चरम पर है. बतौर सबूत, फ़रीदाबाद के तीन उदहारण प्रस्तुत हैं.

एक कारखाना मालिक ने अपने दो मज़दूरों को 5 महीने का वेतन नहीं दिया. वह मालिक देश का कोई श्रम क़ानून नहीं मानता. आन्दोलन हुआ, श्रम विभाग का इंस्पेक्टर मौक़ा-मुआयना करने पहुंचा. मालिक द्वारा श्रम कानूनों की कोई परवाह ना करने के सारे सबूत, फैक्ट्री में खुद चीख़ रहे थे. इंस्पेक्टर ने नज़रंदाज़ किया. वरिष्ठ अधिकारी को उसकी शिकायत हुई. क़ानून-उल्लंघन की इस वारदात पर, वरिष्ठ अधिकारी ने कोई उत्तेजना ना दिखाते हुए, फ़रमाया- इंस्पेक्टर ने कुछ भी ग़लत नहीं किया. 'हमें सरकार के लिखित आदेश हैं, कि बिना हेड ऑफिस की अनुमति लिए और बिना मालिक को पूर्व सूचना दिए, कोई भी निरिक्षण करने, कारख़ाने में जाना ही नहीं. 'हम क्या करें, अपना दर्द किसे बताएं!!' अब, ये सिद्ध करने के लिए कि मालिक को अपने मज़दूरों केवेतन का भुगतान करना चाहिए, तारीखें लग रही हैं. दोनों मज़दूरों को अपनी दिहाड़ी गंवाकर वहां जाना पड़ रहा है.

ये दास्तां छोटे कारखाने की थी. दूसरा वाक़या, लखानी नाम के दो बड़े कारख़ानों का है. छोटे भाई ने, पीएफ में कंपनी अंशदान की तो बात छोडिए, अपने हज़ारों मज़दूरों के वेतन से काटा गया पीएफ़ का पैसा भी, 2012 के बाद सरकारी ख़ज़ाने में जमा नहीं किया. वह व्यक्ति जेल में नहीं, अपनी कोठी में निवास करता है. सरकारी भाषा में वह 'फ़रार' है. उसके सारे कारखाने उसका बेटा चलाता है. उसके पास आज भी अकूत संपत्ति है. सेक्टर 24, 14, 21 में अनेक कोठियां हैं. बैंक अधिकारी उसकी एक संपत्ति बेचकर, अपने क़र्ज़ की वसूली करके चले गए. पीएफ विभाग के सारे अधिकारीयों-मंत्रियों-संतरियों के लाखों के वतन, सरकारी गाड़ियाँ, कोठियां उसी तरह हैं. वहां भी 'ज्ञापन' दिया गया था,

बक़ौल पाब्लो नरूदा; 'तुम रौंद सकते हो सभी फूलों को, मगर तुम बसंत को आने से नहीं रोक सकते'

मीटिंग हुई थी. पीएफ अधिकारी ने ईमानदारी से ये तो कबूल नहीं किया, कि सरकार ये ही चाहती है, लेकिन अधिकारीयों की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वे सरकारी आदेशों का पालन कर रहे हैं.

छोटे लखानी को देखकर बड़ा लखानी भी 'समझदार' हो गया. उसने भी दो सालों से पीएफ का पैसा जमा नहीं किया. ऐसे गुनाह करने वाला, लखानी अकेला नहीं है. ऐसी जानकारियाँ, अनेकों कारखानों से मिल रही हैं कि मालिक आवश्यक कटौतियां, मज़दूरों के वेतन से करने के बाद, निर्लज्जता से डकार रहे हैं.

प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हथकंडे अपनाकर, काम से निकाले जाने वाले मज़दूरों के वेतन, ओवरटाइम, बोनस आदि का भुगतान नहीं कर रहे. मज़दूरों को, 'जा, जो तुझे करना है, कर', बोलकर भगा दिया जा रहा है. मज़दूर कुछ दिन चिल्लाते हैं, बिलखते हैं लेकिन उससे ज्यादा भूख बरदाश्त न कर पाने की वज़ह से, कहीं दूसरी जगह काम करने, मतलब ख़ुद को फिर से ठगे जाने को प्रस्तुत करने को मज़बूर हैं.

मालिक और मज़दूर के बीच का ये संघर्ष कोई नई बात नहीं है. ये जंग उतनी ही पुरानी है, जितनी इस रिश्ते की उम्र है. फर्क ये ही है कि कभी ये लड़ाई 'सामान्य', 'साधारण' और 'शांतिपूर्ण' नज़र आती है और कभी असामान्य, असाधारण और कड़वी, मारने-मरने जैसी. जब तक पूंजीवाद संकट में नहीं फंसता, तब तक ये भिड़ंत सामान्य परिधि में रहती है, क्योंकि इस अवस्था में, ये मुनाफ़ाखोर व्यवस्था, मज़दूर के लिए 'न्याय' करने के मुग़ालते बनाए रख पाती है. श्रम 'कल्याण' के क़ानून बनते हैं, उन्हें लागू कराने की मशीनरी सुचारू रूप से चलती है. मालिक भी, एक के बाद दूसरी फैक्ट्री लगाते जाते हैं. उन्हें मज़दूरों की सतत आपूर्ति चाहिए, इसलिए उनके दिल में भी मज़दूरों के प्रति प्रेम-अनुराग उमड़ता रहता है. मूलभूत सच्चाई, उस वक़्त भी जब ये 'युद्ध-विराम' लागू होता है, वही रहती है; 'मालिक का मुनाफ़ा, मज़दूर के श्रम की चोरी से ही आता है'.

कौन जानता था, कि किसान जो 2014 और 2019 में, मोदी को सत्ता में प्रस्थापित करने के लिए झूम रहे थे, वे उसकी छाती पर ऐसे चढ़कर बैठेंगे कि साँस लेना मुश्किल कर देंगे. सारी 56 इंची हेंकड़ी रफ़ू चक्कर हो जाएगी और साहिब-ए-मसनद की विनम्रता की प्रतिमूर्ति बनकर, हाथ जोड़कर, माफ़ी मांगते हुए, नया क़ानून बनाकर, पहले बनाए काले कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ेगा. मज़दूर, इस सरकार के सामने उससे भी बड़ी चुनौती प्रस्तुत करने वाले हैं. 'लेबर कोड लागू नहीं होने देंगे', ये लड़ाई अब बे-मानी हो गई. लेबर कोड भी, मालिक को, मज़दूर का वेतन या पीएफ कटौती डकार जाने की इज़ाज़त नहीं देते, लेकिन कोई भी 'कोड' आज लागू नहीं है. सरकार क्या कहती है, इसका अब कोई अर्थ ही नहीं बचा. सरकार जो कहती है, वह नहीं करती और जो करती है वह नहीं कहती. काले कृषि कानून वापस होकर भी वापस नहीं हुए, आज भी लागू हैं. लेबर कोड भी, लागू न होकर, लागू हैं. काम-काज की सरलता के नाम पर, मालिक वर्ग को आज पूरी छूट मिली हुई है.

मज़दूरों-मज़लूमों के विरुद्ध, इस सरकार ने, एक तरह का युद्ध छेड़ा हुआ है, जिसका मुकाबला मज़दूर-किसान, छात्र-अध्यापक अकेले नहीं कर सकते. सारे मेहनतक़श वर्ग को ही आज संघर्ष की भट्टी में झोंक दिया गया है; लड़ो या मैदान से भाग जाओ, मतलब, फ़ासिस्टों के खेमे में चले जाओ; दो ही विकल्प हैं. जैसे किसानों ने अपने नेताओं को इकट्ठे होकर लड़ना सिखा दिया, ठीक वैसे ही मज़दूर भी सिखाएँगे और जल्दी ही सिखाएँगे. करोड़ों मज़दूरों की क्रियाशीलता से उत्पन्न ऊर्जा से ही, मज़दूरों का असली हथियार, सही क्रांतिकारी पार्टी जन्म लेगी, ये ज़रूर होगा और जल्दी ही होगा. पूंजीवाद मानवता की आख़री मंज़िल नहीं हो सकता. **-सत्यवीर सिंह**